अध्याय-1
सामान्य

कार्यकारी सारांश

राज्य की राजस्व प्राप्तियों में सीमांत वृद्धि दर	वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य की कुल कर एवं कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 11,759.30 करोड़ थी जो पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 17.69 प्रतिशत की सीमांत वृद्धि दर को दर्शाता है। जिसमें ₹ 8,223.67 करोड़ कर राजस्व एवं ₹ 3,535.63 करोड़ कर-भिन्न राजस्व हैं। राज्य ने ₹ 4,822.20 करोड़ सहायता अनुदान एवं विभाज्य संघीय करों से राज्यांश के रूप में ₹ 81,88.05 करोड़ प्राप्त किया।
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभाग की अपर्याप्त प्रतिक्रिया	वर्ष 2003-04 से दिसम्बर 2012 तक हमारे द्वारा निर्गत 221 निरीक्षण प्रतिवेदनों का प्रथम उत्तर भी हमें प्राप्त नहीं हुए हैं।
लेखापरीक्षा को अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण	वर्ष 2012-13 में चार विभागों (वाणिज्यकर, राजस्व एवं भूमि सुधार, परिवहन और खान एवं भूतत्व) के पन्द्रह कार्यालयों द्वारा कर निर्धारण के 260 अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया।
विभागीय लेखापरीक्षा समिति बैठकों का सीमित प्रभाव	वर्ष 2012-13 के दौरान दस विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें हुई एवं ₹ 66.78 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के 301 लंबित कंडिकाओं का निपटारा हुआ।
पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव	वर्ष 2007-08 से 2011-12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित ₹ 3,787.98 करोड़ के कुल आपत्तियों में से सरकार ने ₹ 1,246.91 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया जिसमें ₹ 509.29 करोड़ की वसूली 31 मार्च 2013 तक की गयी।
वर्ष 2012-13 में हमारे द्वारा संचालित लेखापरीक्षा का प्रभाव	हमने वर्ष 2012-13 में विभिन्न विभागों के 130[1] इकाइयों की नमूना जाँच की जिसमें 25,784 मामलों में ₹ 1,532.94 करोड़ के कर, शुल्क, स्वामिस्व आदि का अनारोपण/अल्पारोपण पाया। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने इंगित ₹ 568.52 करोड़ सन्निहित राशि के 21,067 मामलों में अवनिर्धारण एवं अन्य विसंगतियों को स्वीकार किया। विभागों ने 2012-13 में 1,024 मामलों में ₹ 7.02 करोड़ की वसूली की।

[1] नमूना जाँच की गई एक इकाई झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम को छोड़कर।

अध्याय-I: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2012-13 के दौरान झारखण्ड सरकार द्वारा सृजित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों, शुल्कों में राज्य का अंश एवं सहायता अनुदान तथा इससे संबंधित पूर्ववर्ती चार वर्षों के तत्संबंधी आँकड़े नीचे वर्णित है:

(₹ **करोड़ में**)

क्र. सं.		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
I.	**राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व**					
	• कर राजस्व	3,753.21	4,500.12	5,716.63	6,953.89	8,223.67
	• कर-भिन्न राजस्व	1,951.74	2,254.15	2,802.89	3,038.22	3,535.63
	कुल	**5,704.95**	**6,754.27**	**8,519. 52**	**9,992.11**	**11,759.30**
II.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश	5,392.11	5,547.57	6,154.35	7,169.93	8,188.05[1]
	• सहायता अनुदान	2,115.78	2,816.63	4,107.25	5,257.41	4,822.20
	कुल	**7,507.89**	**8,364.20**	**10,261.60**	**12,427.34**	**13,010.25**
III.	**राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ (I एवं II)**	**13,212.84**	**15,118.47**	**18,781.12**	**22,419.45**	**24,769.55**
IV.	**III से I की प्रतिशतता**	**43**	**45**	**45**	**45**	**47**

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व (₹ 11,759.30 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 47 प्रतिशत था। वर्ष 2012-13 के दौरान शेष 53 प्रतिशत राजस्व भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

यह भी देखा गया कि राज्य सरकार के राजस्व विगत पाँच वर्षों के दौरान 15.56 प्रतिशत की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर (सं.वा.वृ.द.) से बढ़ रहे थे।

---

[1] पूर्ण विवरण के लिए सरकार के वर्ष 2012-13 के वित्त लेखे में विवरणी संख्या 11-लघु शीर्षवार राजस्व का विस्तृत लेखा देखें। मुख्य शीर्ष 0020-निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028-आय एवं व्यय पर अन्य कर (लघुशीर्ष-107-पेशा, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर को छोड़कर), 0032-सम्पत्ति पर कर, 0044-सेवा पर कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038- संघीय उत्पाद शुल्क एवं 0045-वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क - लघु शीर्ष-901 निवल आगम में राज्यों का समानुदिष्ट हिस्सा के अंतर्गत आँकड़े जो वित्त लेखा में क-कर राजस्व में दिखाये गये हैं, को राज्य द्वारा सृजित राजस्व से हटाकर, विभाज्य संघीय करों में राज्यांश में सम्मिलित कर इस विवरणी में दिखाया गया है।

1.1.2 वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान सृजित कर राजस्व के विवरण निम्न तालिका में वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2011-12 की तुलना में 2012-13 में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,996.20	3,597.20	4,473.43	5,522.02	6,421.61	(+) 16.29
2	राज्य उत्पाद	205.46	322.75	388.34	457.08	577.92	(+) 26.44
3	मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	192.16	238.20	328.35	401.17	492.40	(+) 22.74
4	वाहनों पर कर	201.57	234.21	312.37	391.92	465.36	(+) 18.74
5	विद्युत पर कर एवं शुल्क	43.47	46.87	53.50	72.76	110.72	(+) 52.17
6	भू-राजस्व	53.33	41.28	130.65	52.94	96.38	(+) 82.06
7	माल एवं यात्रियों पर कर-स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर	54.02	12.44	21.08	40.95	0.51	(-) 98.75
8	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	7.00	7.17	8.91	15.05	15.28	(+) 1.53
9.	व्यवसायों, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर[2]	-	-	-	-	43.49	-
	कुल	**3,753.21**	**4,500.12**	**5,716.63**	**6,953.89**	**8223.67**	**18.26**

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

2012-13 में कर राजस्व का विघटन

(₹ करोड़ में)

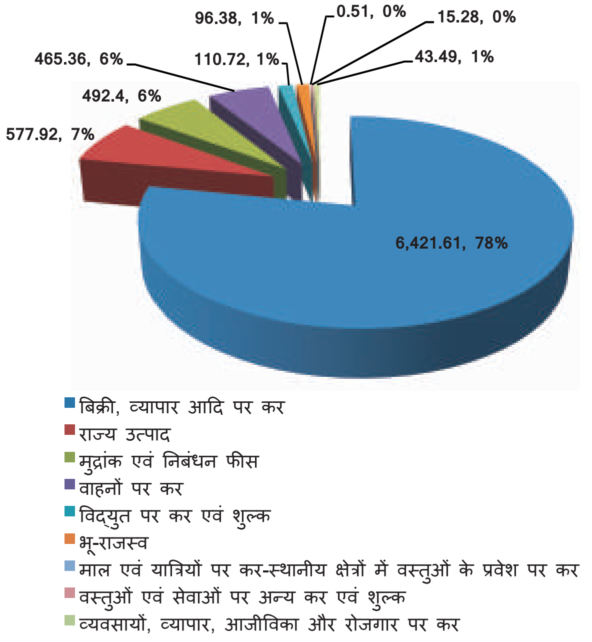

[प्रतिशतता में आँकड़े कुल कर राजस्व के अंश दर्शाते हैं]

---

[2] एस.ओ. 7 दिनांक 29 जून 2012 द्वारा लागू।

राजस्व के कुछ मुख्य शीर्षों के संबंध में 2011-12 की तुलना में 2012-13 में प्राप्तियों में विचरण का कारण निम्न थे:

बिक्री, व्यापार आदि पर कर: विभाग द्वारा 16.29 प्रतिशत की वृद्धि का कारण कर प्रशासन का बेहतर एवं प्रभावकारी एवं मू.व.क. के दर में पुनरीक्षण/वृद्धि होना बताया गया (सितम्बर 2013)।

राज्य उत्पाद: विभाग द्वारा 26.44 प्रतिशत की वृद्धि का कारण खुदरा उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती के प्रतिशत में वृद्धि एवं विभिन्न प्रकार के फीस की दरों में वृद्धि होना बताया गया (जून 2013)।

मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क: 22.74 प्रतिशत की वृद्धि भूमि एवं संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होना बताया गया (अगस्त 2013)।

वाहनों पर कर: 18.74 प्रतिशत की वृद्धि पंजीकृत वाहनों की संख्या में वृद्धि का होना बताया गया (जून 2013)।

विद्युत पर कर एवं शुल्क: 52.17 प्रतिशत की वृद्धि का कारण बेहतर कर प्रशासन का होना बताया गया (सितम्बर 2013)।
अन्य विभागों द्वारा अनुरोध के बावजूद आधिक्य/कम का कारण नहीं बताया गया (दिसम्बर 2013)।

1.1.3 निम्न तालिका 2008-09 से 2012-13 की अवधि में सृजित कर-भिन्न राजस्व का विवरण प्रस्तुत करती है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2011-12 की तुलना में 2012-13 में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता
1	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	1,477.94	1,733.15	2,055.90	2,662.79	3,142.47	(+) 18.01
2	वानिकी एवं वन्य जीवन	7.20	3.57	4.76	3.71	4.22	(+) 13.75
3	ब्याज प्राप्तियाँ	109.53	153.20	98.74	44.16	72.23	(+) 63.56
4	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	4.25	13.49	23.85	15.42	20.48	(+) 32.81
5	अन्य	352.82	350.74	619.64	312.14	296.23	(-) 5.10
	कुल	**1,951.74**	**2,254.15**	**2,802.89**	**3,038.22**	**3,535.63**	**(+) 16.37**

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

वर्ष 2012-13 में कर-भिन्न राजस्व का विघटन

(₹ करोड़ में)

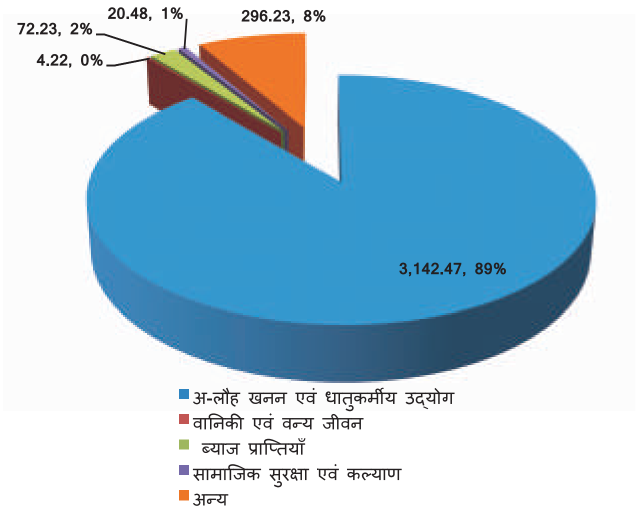

[प्रतिशतता में आँकड़े कुल कर-भिन्न राजस्व के अंश दर्शाते हैं]

विभाग द्वारा 2011-12 की तुलना में 2012-13 में अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योगों की प्राप्तियों में वृद्धि का कारण कोयले के स्वामिस्व की दर में वृद्धि होना बताया गया (सितम्बर 2013)।

अन्य विभागों द्वारा अनुरोध के बावजूद आधिक्य/कम का कारण नहीं बताया गया (दिसम्बर 2013)।

1.2 बजट अनुमानों एवं वास्तविकों के मध्य विचरण

वर्ष 2012-13 के लिए राजस्व के मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कर एवं कर-भिन्न राजस्व से संबंधित संशोधित बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में विचरण नीचे दी गयी तालिका में वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	विचरण वृद्धि (+)/ कमी (-)	विचरण की प्रतिशतता वृद्धि (+)/कमी (-)
क.	**कर राजस्व**				
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,650.00	6,421.61	(-) 228.39	(-) 3.43
2.	राज्य उत्पाद	650.00	577.92	(-) 72.08	(-) 11.09
3.	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	490.00	492.40	(+) 2.40	(+) 0.49
4.	वाहनों पर कर	550.00	465.36	(-) 84.64	(-) 15.39
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	142.00	110.72	(-) 31.28	(-) 22.03
6.	भू-राजस्व	82.00	96.38	(+) 14.38	(+) 17.54
7.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	28.00	0.51	(-) 27.49	(-) 98.18
8.	माल एवं यात्रियों पर कर-स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर	20.00	15.28	(-) 4.72	(-) 23.60

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	विचरण वृद्धि (+)/ कमी (-)	विचरण की प्रतिशतता वृद्धि (+)/कमी (-)
ख.	**कर-भिन्न राजस्व**				
1.	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	3,209.92	3,142.47	(-) 67.45	(-) 2.10
2.	वानिकी एवं वन्य जीवन	4.80	4.22	(-) 0.58	(-) 12.08
3.	ब्याज प्राप्तियाँ	65.00	72.23	(+) 7.23	(+) 11.12
4.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	19.00	20.48	(+) 1.48	(+) 7.79

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे एवं 2013-14 के लिए झारखण्ड सरकार के राजस्व एवं प्राप्तियों के अनुसार संशोधित अनुमान।

2012-13 के दौरान कर राजस्व के कुछ मुख्य शीर्षों के संबंध में संशोधित बजट अनुमानों के विरूद्ध प्राप्तियों में कमी के कारण निम्नलिखित थे:

राज्य उत्पाद: 11.09 प्रतिशत की कमी का कारण विभाग द्वारा राज्य के राजस्व संभावना की तुलना में लक्ष्य का अधिक निर्धारण के साथ अपर्याप्त बुनियादी संरचना एवं कर्मचारी की कमी का होना बताया गया।

वाहनों पर कर: 15.39 प्रतिशत की कमी का कारण विभाग द्वारा कर्मचारी की कमी एवं अंतर्राज्यीय स्थायी चेक पोस्ट की स्थापना नहीं किये जाने को बताया गया।

अन्य विभागों से अनुरोध (अप्रैल एवं सितम्बर 2013 के मध्य) किये जाने के बावजूद विचरण के कारणों को सूचित नहीं किया गया (दिसम्बर 2013)।

1.3 संग्रहण की लागत

मुख्य राजस्व प्राप्तियाँ से संबंधित सकल संग्रहण, इनके संग्रहण पर किये गये व्यय तथा 2012-13 के दौरान सकल संग्रहण पर ऐसे व्यय की प्रतिशतता, साथ ही 2011-12 में संग्रहण पर व्यय की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता जैसा कि निम्न तालिका में दिखायी गयी है:

(₹ करोड में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	संग्रहण	राजस्व के संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	2011-12 के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,421.61	36.50	0.57	0.83
2.	वाहनों पर कर	465.36	4.51	0.97	2.96
3.	राज्य उत्पाद	577.92	14.92	2.58	2.98
4.	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	492.40	11.24	2.28	1.89

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि मुद्रांक एवं निबंधन फीस संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता अखिल भारतीय औसत की तुलना में अधिक था। विभाग को इस पर ध्यान देने की जरूरत है एवं संग्रहण के उच्च लागत को कम करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। तथापि, हम प्रशंसा करते है कि बिक्री, व्यापार आदि पर

कर, वाहनों पर कर एवं राज्य उत्पाद के संग्रहण की लागत अखिल भारतीय औसत से कम थी।

1.4 बकाये राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2013 को कुछ मुख्य शीर्षों से संबंधित बकाया राजस्व ₹ 2986.09 करोड़ थे जिसमें ₹ 1,343.30 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित थे, जैसा कि नीचे वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2013 को बकाया राशि	31 मार्च 2013 को पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	अभ्युक्तियाँ
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,940.85	1,159.59	₹ 1,940.85 करोड़ में से ₹ 160.01 करोड़ मांग की वसूली के लिए बकाये भू-राजस्व की तरह नीलामपत्रवाद दायर किये गये। ₹ 641.28 करोड़ एवं ₹ 1.72 करोड़ की वसूली पर क्रमश: न्यायालयों एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक लगायी गयी। ₹ 23.15 करोड़ की वसूली व्यवसायी/ पार्टी के दिवालिया होने के कारण रोका गया एवं ₹ 1.78 करोड़ पर अपलेखन संभावित था। शेष ₹ 1,112.91 करोड़ के बकाये के संबंध में की गई विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी (दिसम्बर 2013)।
2.	राज्य उत्पाद	31.37	25.29	31 मार्च 2013 को बकाये का अंतिम शेष ₹ 31.37 करोड़ में से ₹ 13.30 करोड़ मांग की वसूली के लिए बकाये भू-राजस्व की तरह नीलामपत्रवाद दायर किये गये, ₹ 15.98 करोड़ की वसूली पर क्रमश: न्यायालयों एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक लगायी गयी, ₹ 10.55 लाख की वसूली पार्टियों के दिवालिया होने के कारण रोका गया एवं ₹ 16.08 लाख पर अपलेखन संभावित था। शेष ₹ 1.82 करोड़ के बकाये के संबंध में की गई विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी (दिसम्बर 2013)।
3.	वाहनों पर कर	250.70	प्रस्तुत नहीं किया गया	₹ 250.70 करोड़ में से ₹ 48.14 करोड़ मांग की वसूली के लिए बकाये भू-राजस्व की तरह नीलामपत्रवाद दायर किये गये, ₹ 1.41 लाख की वसूली न्यायालयों द्वारा रोक लगायी गयी। शेष ₹ 202.55 करोड़ के बकाये के सबंध में की गई विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी (दिसम्बर 2013)।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2013 को बकाया राशि	31 मार्च 2013 को पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	अभ्युक्तियाँ
4.	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	763.17	158.42	₹ 933.34 करोड़[3] में से ₹ 463.34 करोड़ मांग की वसूली के लिये बकाये भू-राजस्व की तरह नीलामपत्रवाद दायर किये गये। ₹ 408.38 करोड़ एवं ₹ 8.68 करोड़ की वसूली पर क्रमश: न्यायालयों एवं अन्य अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा रोक लगायी गयी। ₹ 28.65 लाख एवं ₹ 2.67 करोड़ की वसूली पर क्रमश: भूल सुधार/पुनर्विचार के लिये आवेदन एवं व्यवसायी/पार्टी के दिवालिया हो जाने के कारण रोक लगायी गयी। शेष ₹ 49.98 करोड़ के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी (दिसम्बर 2013)।
	कुल	2,986.09	1,343.30	

हमारे द्वारा (अप्रैल एवं सितम्बर 2013 के मध्य) सक्रिय पहल के बावजूद वर्ष 2012-13 के अन्त में अन्य विभागों से संबंधित संग्रहण हेतु लंबित बकाये राजस्व की स्थिति प्रस्तुत नहीं किया गया (दिसम्बर 2013)।

1.5 प्रतिदाय

वर्ष 2012-13 के आरंभ में प्रतिदाय के लंबित मामलों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान स्वीकृत प्रतिदाय तथा वर्ष के अंत में लंबित मामले नीचे दिये तालिका में दर्शाये गये हैं:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	मू.व.क. एवं विद्युत पर कर एवं शुल्क	
		मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के आरंभ में बकाया दावे[4]	608	2,599.86
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	23	1,708.34
3.	वर्ष के दौरान किये गये प्रतिदाय	1	0.31
4.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	630	4,307.89
5.	विलम्बित प्रदाय के कारण ब्याज का भुगतान	शून्य	शून्य

स्रोत: वाणिज्य कर विभाग द्वारा दी गयी सूचना।

मू.व.क. के अंतर्गत प्रतिदाय के मामले में नब्बे दिनों से अधिक प्रतिदाय के दावे का आवेदन लंबित होने पर छ: प्रतिशत के साधारण ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज

[3] विभाग ने ₹ 933.34 करोड़ चरणबद्ध बकाये की वसूली की सूचना दी यद्यपि ₹ 763.17 करोड़ बकाये राशि को उन्होंने प्रतिवेदित किया था।।

[4] विगत वर्ष में दिये गये आँकड़े में 134 मामले एवं ₹ 2.06 करोड़ का अंतर है।

भुगतेय है। अत: सरकार निर्धारित अवधि में मामलों के निष्पादन हेतु प्रभावी कदम उठा सकती है।

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया

1.6.1 लेखापरीक्षा अवलोकनों का अनुपालन

हम लेन-देन की नमूना जाँच तथा निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के अनुसार लेखाओं और अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन करने हेतु सरकार के विभागों का सामयिक निरीक्षण करते हैं। हमारे निरीक्षणों के अनुसरण में जाँच के दौरान पाई गई अनियमितताओं जिसका कार्यस्थल पर निराकरण नहीं किया जा सका, को निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) में शामिल कर निरीक्षित कार्यालय के प्रमुख को निरीक्षण प्रतिवेदन तथा उसकी प्रति अगले उच्चतर प्राधिकारियों को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु भेजी जाती है। कार्यालय प्रमुख/सरकार द्वारा प्रारंभिक उत्तर के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी किये जाने की तिथि से एक माह के भीतर हमें अनुपालन प्रतिवेदन भेजना अपेक्षित है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएँ विभाग के प्रमुखों और सरकार को प्रतिवेदित की जाती है।

दिसम्बर 2012 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों की हमने समीक्षा की और पाया कि 994 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 6,945 कंडिकाओं में ₹ 10,977.96 करोड़ की राशि जून 2013 के अंत तक लंबित थी। पूर्ववर्ती दो वर्षों से संबंधित आँकड़े नीचे की तालिका में वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	जून 2011[5]	जून 2012	जून 2013
लंबित नि.प्र. की संख्या	1,998	963	994
लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	9,320	6,100	6,945
सन्निहित राशि	11,500.30	9,794.39	10,977.96

30 जून 2013 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा आपत्तियाँ और उसमें सन्निहित राशि का विभागवार विवरण नीचे वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित नि.प्र. की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राशि
1	वाणिज्य कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	177	3,443	3,126.05
		प्रवेश कर	48	112	25.79
		विद्युत शुल्क	23	51	54.53
		मनोरंजन कर आदि	10	10	0.53
2	उत्पाद एवं मद्यनिषेध	राज्य उत्पाद	106	483	498.86

[5] वन एवं पर्यावरण विभाग एवं जल संसाधन विभाग से संबंधित नि.प्र. एवं लेखापरीक्षा आपत्तियाँ सामिल है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित नि.प्र. की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राशि
3	राजस्व एवं भूमि सुधार	भू-राजस्व	208	426	1,374.75
4	परिवहन	वाहनों पर कर	154	813	391.25
5	निबंधन	मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	121	367	3,422.06
6	खान एवं भूतत्व	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	147	1,240	2,084.14
कुल			**994**	**6,945**	**10,997.96**

निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत होने की तिथि से एक माह के भीतर कार्यालय प्रमुखों से प्रथम उत्तर प्राप्त होना आवश्यक है परन्तु वर्ष 2003-04 से दिसम्बर 2012 तक निर्गत 221 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर प्राप्त नहीं हुए। उत्तरों के प्राप्त नहीं होने के कारण नि.प्र. की वृहत लंबनता इस तथ्य को दर्शाती है कि कार्यालय/विभाग प्रमुखों ने निरीक्षण प्रतिवेदन में हमारे द्वारा इंगित त्रुटियों, चूकों तथा अनियमितताओं को सुधारने के लिए कार्रवाई प्रारंभ नहीं की।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार प्रभावकारी प्रक्रिया की संस्थापना हेतु उपयुक्त कदम उठाए जिससे लेखापरीक्षा आपत्तियों पर उचित एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। सरकार निर्धारित समय सीमा के अंदर निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के उत्तर भेजने में विफल कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु तंत्र की भी संस्थापना कर सकती है।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

वर्ष 2012-13 में 10 लेखापरीक्षा समिति की बैठकें हुई और निष्पादित कंडिकाओं का विवरण नीचे वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	बैठकों की संख्या	निष्पादित कंडिकाओं की संख्या	राशि
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2	57	3.26
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	1	07	0.37
राज्य उत्पाद	1	31	2.98
वाहनों पर कर	2	78	34.89
भू-राजस्व	2	40	0.57
अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	2	88	24.71
कुल	**10**	**301**	**66.78**

लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियों के वृहत संख्या को देखते हुए, जैसा कि पूर्ववर्ती कंडिका में वर्णित है, यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा समिति की बैठकें नियमित रूप से होनी चाहिए एवं सभी लेखापरीक्षा आपत्तियों पर उनके निष्पादन के लिए उचित कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाय।

1.6.3 लेखापरीक्षा को संवीक्षा हेतु अभिलेखों का प्रस्तुत नहीं किया जाना

कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियों से संबंधित कार्यालयों को स्थानीय लेखापरीक्षा कार्यक्रम पर्याप्त रूप से अग्रिम में तैयार कर हमारे द्वारा लेखापरीक्षा प्रारम्भ होने से सामान्यत: एक माह पूर्व विभाग को सूचना भेज दी जाती है जिससे कि वह संबंधित अभिलेखों को संवीक्षा के लिए तैयार कर सके।

वर्ष 2012-13 के दौरान हमें चार विभागों (वाणिज्य कर, राजस्व एवं भूमि सुधार, परिवहन और खान एवं भूतत्व विभाग) के 15 कार्यालयों के 260 कर निर्धारण अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये। ऐसे मामलों का कार्यालय-वार विवरण नीचे दिये गये है:

कार्यालय का नाम	लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये करनिर्धारण मामलों/अभिलेखों की संख्या
वाणिज्यकर उपायुक्त (वा.क.उ.), साहिबगंज अंचल	70
वा.क.उ., झरिया अंचल	35
वा.क.उ., रामगढ़ अंचल	26
वा.क.उ., राँची दक्षिणी अंचल	19
वा.क.उ., सिहभूम अंचल, जमशेदपुर	7
वा.क.उ., चिरकुण्डा	3
भूमि सुधार, उप-समाहर्ता (भू.सु.उ.स.), राँची	42
भू.सु.उ.स., हजारीबाग	19
भू.सु.उ.स., बुण्डू	18
भू.सु.उ.स., रामगढ़	10
अपर समाहर्ता, राँची	1
जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग	3
खान निदेशक, झारखण्ड, राँची	3
जिला खनन कार्यालय, (जि.ख.का.) देवघर	2
जि.ख.का., धनबाद	2
कुल	**260**

1.6.4 प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विभागों का प्रत्युत्तर

बिहार सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों (1966), जैसा कि झारखण्ड सरकार पर लागू है, स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान उठाये गये लेखापरीक्षा आपत्तियों पर निरीक्षण प्रतिवेदन के निर्गत किये जाने के उपरांत संबंधित प्राधिकारियों द्वारा मंतव्य दिया जाना है। गंभीर अनियमितताओं के अवलोकनों को प्रारूप कंडिकाओं में परिवर्तित किया जाता है और संबंधित प्रशासनिक विभागों/सरकार को उनके उत्तर/मंतव्य छ: सप्ताह के अंदर देने हेतु प्रारूप कंडिकाओं को अग्रसारित किया जाता है। यदि उत्तर प्राप्त नहीं होते हैं या विभाग/सरकार द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं है, तो प्रारूप कंडिकाओं को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल कर लिया जाता है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधायिका के पटल पर रखे जाने के बाद सरकार सबंधित कंडिकाओं पर

व्याख्यात्मक टिप्पणी के साथ लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) को अग्रसारित करती है एवं जाँच के लिए प्रधान महालेखाकार (प्र.म.ले.) को अग्रसारित किया जाता है। विचार के उपरान्त लो.ले.स. कंडिकाओं के अंतिम निष्पादन के लिये सरकार को छः माह के अंदर अनुपालन हेतु अनुशंसा करती है।

चालीस प्रारूप कंडिकाओं को (एक समीक्षा सहित 27 कंडिकाओं में संकलित कर इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है) संबंधित विभागों के सचिवों को (मई एवं जुलाई 2013 के मध्य) प्रेषित किया गया तथा जुलाई एवं अगस्त 2013 के मध्य स्मार भेजा गया। सरकार से वाणिज्यकर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस एवं अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग से संबंधित 35 प्रारूप कंडिकाओं[6] पर प्राप्त उत्तरों को समुचित रूप से प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है। अन्य मामलों में सरकार ने कोई उत्तर नहीं भेजा है (दिसम्बर 2013)।

1.6.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन-संक्षेपित स्थिति

लोक लेखा समिति संबंधित विभाग द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर की गई या प्रस्तावित कार्रवाई को दर्शाते हुए विधान मंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह के अंदर व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करना निर्धारित करती है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती संक्षेपित स्थिति निम्नवत है:

क्र.सं.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के समाप्ति का वर्ष	विधानमण्डल में उपस्थापित होने की तिथि	कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त हुई है	कंडिकाओं की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है
1	31 मार्च 2000[7]	21.03.2002	36	17	19
2	31 मार्च 2001	17.12.2003	35	11	24
3	31 मार्च 2002	03.08.2004	27	11	16
4	31 मार्च 2003	24.03.2005	42	25	17
5	31 मार्च 2004	19.12.2005	31	22	09
6	31 मार्च 2005	24.08.2006	29	24	05
7	31 मार्च 2006	04.04.2007	27	17	10
8	31 मार्च 2007	26.03.2008	36	16	20
9	31 मार्च 2008	10.07.2009	42	27	15
10	31 मार्च 2009	13.08.2010	41	14	27
11	31 मार्च 2010	29.08.2011	26	10	16
12	31 मार्च 2011	06.09.2012	32	00	32
13	31 मार्च 2012	27.07.2013	25	00	25
कुल			429	194	235

[6] वाणिज्य कर विभाग से 16 प्रारूप कंडिकाओं पर प्राप्त आंशिक उत्तर को शामिल कर।

[7] झारखण्ड के लो.ले.स. में विचार विमर्श हेतु झारखण्ड परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों/जिलों का पुनर्गठन के पूर्व के अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओं के विषय में सक्षम पदाधिकारियों द्वारा लिये निर्णय की गये सूचना लेखापरीक्षा को नहीं थी।

31 मार्च 2000 से 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ/क्षेत्र) के 13 प्रतिवेदनों में शामिल 429 लंबित कंडिकाओं की हमारे द्वारा किये गए समीक्षा में प्रकट हुआ कि विभाग ने मात्र 194 कंडिकाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणी समर्पित किया था।

यह दर्शाती है कि कार्यपालिका ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उद्घटित महत्वपूर्ण मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई नहीं की।

1.7 लेखापरीक्षा अवलोकनों के निष्पादन का मूल्यांकन- निबंधन विभाग

विभागों/सरकार के निरीक्षण प्रतिवेदन/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाये गये मुद्दों की स्थिति पर निबंधन विभाग के कार्यवाही से सबंधित वर्ष 2004-05 से 2012-13 के मध्य संचालित स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पता चले मामलों एवं ऐसे मामले भी जो 2004-05 से 2012-13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित है, पर कार्यवाही का मूल्यांकन किया गया। अनुवर्ती कंडिकायें 1.7.1 एवं 1.7.2 वर्ष 2004-05 से 2012-13 के दौरान निष्पादन की प्रवृति को बताती हैं।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

निबंधन विभाग से संबंधित वर्ष 2004-05 से 2012-13 के दौरान निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाएँ, एवं 31 मार्च 2013 को उनकी संक्षेपित स्थिति नीचे तालिका में सारणीबद्ध है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष			वर्ष के दौरान परिवर्धन			वर्ष के दौरान निष्पादन			वर्ष के दौरान अंतिम शेष		
	नि.प्र.	कंडिकाएँ	राशि	नि.प्र.	कंडिकाएँ	राशि	नि.प्र.	कंडिकाएँ	राशि	नि.प्र.	कंडिकाएँ	राशि
2004-05	174	364	22.79	23	76	4.41	1	2	0	196	438	27.20
2005-06	196	438	27.20	27	75	3.52	6	42	0.21	217	471	30.51
2006-07	217	471	30.51	10	31	0.22	0	3	0.02	227	499	30.71
2007-08	227	499	30.71	13	40	2.51	3	14	0.38	237	525	32.84
2008-09	237	525	32.84	12	51	2.73	38	88	0.69	211	488	34.88
2009-10	211	488	34.88	10	28	5.46	131	320	23.76	90	196	16.58
2010-11	90	196	16.58	18	149	3,410.95	18	65	2.60	90	280	3,424.93
2011-12	90	280	3,424.93	12	49	2.02	1	17	0.57	101	312	3,426.38
2012-13	101	312	3,426.38	13	46	2.71	2	21	0.44	112	337	3,428.65

2004-05 से 2012-13 की अवधि में हमने 138 नि.प्र. निर्गत किये जिसमें 545 कंडिकाएँ शामिल थीं जिसका वित्तीय प्रभाव ₹ 3434.53 करोड़ था। इसी अवधि में हमने 200 नि.प्र. जिसमें 572 कंडिकाओं में ₹ 28.67 करोड़ की राशि सन्निहित थी, का लेखापरीक्षा समिति की बैठकों एवं विभाग द्वारा निरंतर संपर्क के द्वारा निष्पादन किया। वर्तमान में, 112 नि.प्र. जिसमें ₹ 3,428.65 करोड़ राशि की 337 कंडिकाएँ निष्पादन हेतु लंबित हैं, जिसमें 54 नि.प्र. में ₹ 5.29 करोड़ की 65 कंडिकाएँ पाँच वर्ष से अधिक पुरानी है (2004-05 एवं 2007-08 के मध्य)।

1.7.2 स्वीकृत मामलों में वसूली

वर्ष 2004-05 से 2012-13 की अवधि के दौरान हमने ₹ 11.38 करोड़ के राजस्व प्रभाव के एक समीक्षा **"सूचना प्रौद्योगिकी (सू.प्रौ.) पक्ष सहित मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस से प्राप्तियाँ"** एवं एक कंडिका **"अचल संपत्तियों के पट्टा अनुबंधों और विकास अनुबंधों पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण एवं संग्रहण"** सहित नौ कंडिकाओं को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किया। विभाग ने अब तक पाँच कंडिकाओं में सन्निहित ₹ 5.17 करोड़[8] को स्वीकार किया। तथापि, 2012-13 के दौरान विभाग ने स्वीकृत मामलों के विरूद्ध ₹ 2.39 लाख की वसूली को प्रतिवेदित किया।

हम अनुशंसा करते हैं कि स्वीकार किये गये मामलों में राजस्व की वसूली हेतु सरकार को समुचित कदम उठाना चाहिए।

1.7.2.1 विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही

"सूचना प्रौद्योगिकी पक्ष सहित मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस से प्राप्तियों" पर एक समीक्षा जो निबंधन विभाग से सबंधित थी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) में सम्मिलित था, जिसमें हमारे द्वारा कुछ अनुशंसाएँ की गयी थी।

निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल अनुशंसाओं एवं सितम्बर 2010 में संपन्न निर्गमन सम्मेलन में दिये गये आश्वासनों पर की गयी कार्रवाई/की जाने वाली कार्रवाई के अनुश्रवण हेतु अपनायी गयी पद्धति से अवगत कराने हेतु सरकार/विभाग से अनुरोध (अगस्त 2013) किया गया। इस संबंध में हमें विभाग से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2013)।

1.8 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अंतर्गत इकाई कार्यालयों को उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम इकाइयों में उनकी राजस्व स्थिति, पिछले लेखापरीक्षा आपत्तियों की प्रवृत्ति और अन्य मानदण्डों के अनुसार वर्गीकृत किये जाते हैं। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम के विश्लेषण के आधार पर जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकार की राजस्व प्राप्तियों के महत्वपूर्ण विषय एवं कर प्रशासन यथा बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग का प्रतिवेदन (राज्य एवं केन्द्र), कर सुधार समिति की अनुशंसाएँ, विगत पाँच वर्षों का राजस्व अर्जन का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन की विशिष्टताएँ, लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और विगत पाँच वर्षों में इसके प्रभाव आदि के आधार पर तैयार किये जाते हैं।

---

[8] इस प्रतिवेदन में उठाये गये ₹ 2.46 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के स्वीकृत वसूलनीय मामले सम्मिलित हैं।

वर्ष 2012-13 के दौरान संपूर्ण लेखापरीक्षा क्षेत्र में 445 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयाँ थीं जिनमें से वर्ष के दौरान 131 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई। विवरण नीचे तालिका में वर्णित है:

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	कुल इकाइयो की संख्या	2012-13 के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयाँ
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	46	29
2	वाहनों पर कर	27	16
3	मुदांक एवं निबंधन शुल्क	41	15
4	राज्य उत्पाद	23	18
5	भू-राजस्व	270	32
6	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	33	20
7	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम	5	1
योग		**445**	**131**

उपरोक्त तालिका में वर्णित अनुपालन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त कर प्रशासन की दक्षता की जाँच करने के लिए **“झारखण्ड में विद्युत शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण”** पर एक समीक्षा एवं एक कंडिका “**अचल संपत्तियों के पट्टा अनुबंधों और विकास अनुबंधों पर मुदांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण एवं संग्रहण”** पर एक कंडिका भी संचालित किया गया।

1.9 लेखापरीक्षा का प्रभाव

1.9.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007-08 से 2011-12)

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में ₹ 3,787.98 करोड़ की कुल आपत्तियों में से विभाग/सरकार ने ₹ 1,246.91 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया एवं 31 मार्च 2013 तक ₹ 509.29 करोड़ की वसूली की। विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल राशि	स्वीकार की गयी राशि	वसूल की गयी राशि	
			2012-13 के दौरान[9]	2012-13 तक
1	2	3	4	5
2007-08	842.65	153.76	1.99	191.78
2008-09	1,171.03	88.57	14.64	235.28
2009-10	237.97	48.74	17.42	54.41
2010-11	1,051.61	644.77	1.69	27.05
2011-12	484.72	311.07[10]	0.77[11]	0.77
योग	**3,787.98**	**1,246.91**	**36.51**	**509.29**

1.9.2 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007-08 से 2011-12)

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान हमने बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू-राजस्व, मुद्रांक एवं निबंधन फीस, विद्युत पर कर एवं शुल्क और अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योगों से संबंधित 477 इकाइयों की नमूना जाँच में ₹ 9,302.36 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के 1,59,155 मामले पाये गये, जिसमें सन्निहित ₹ 1,833.75 करोड़ के 1,23,010 मामले विभागों/सरकार ने स्वीकार किया एवं 2012-13 तक ₹ 9.31 करोड़ की वसूली की। विवरण नीचे के सारणी में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखापरीक्षा की गई इकाइयों की संख्या	आपत्ति की गई राशि		स्वीकार की गई राशि		कॉलम 6 से 2012-13 तक वसूल की गई राशि
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	
1	2	3	4	5	6	7
2007-08	84	73,595	1,639.11	69,540	385.74	0.56
2008-09	90	33,254	1,807.08	24,063	585.97	0.23
2009-10	87	4,599	819.44	3,870	62.84	0.37
2010-11	99	16,775	4,066.95	7,058	404.56	6.48
2011-12	117	30,932	969.78	18,479	394.64	1.67
योग	**477**	**1,59,155**	**9,302.36**	**1,23,010**	**1,833.75**	**9.31**

[9] आँकड़े उत्पाद एवं मद्य निषेध, परिवहन, निबंधन और खान एवं भूतत्व विभागों द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों/सूचनाओं पर आधारित हैं।

[10] उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अन्तर्गत खुदरा उत्पाद दुकानों के नहीं/विलंबित बन्दोबस्ती के कारण ₹ 80.63 करोड़ के सैद्धांतिक क्षति को शामिल कर।

[11] 2012-13 के दौरान निबंधन विभाग ने ₹ 2.39 लाख की वसूली की सूचना दी। तथापि, वर्षवार विघटन प्रस्तुत नहीं किया।

1.9.3 निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालन की स्थिति (2012-13)

वर्ष 2012-13 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद, भू-राजस्व, वाहनों पर कर, मुद्रांक एवं निबंधन फीस, विद्युत पर कर एवं शुल्क और खनन प्राप्तियाँ से संबंधित 130 इकाइयों[12] के अभिलेखों की नमूना जाँच में अवनिर्धारण, राजस्व का नहीं, कम आरोपण आदि के कुल मिलाकर ₹ 1,532.94 करोड़ के 25,784 मामले प्रकाश में आये। संबंधित विभागों ने वर्ष के दौरान 21,067 मामलों में ₹ 568.52 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिसमें ₹ 343.47 करोड़ के 20,928 मामलों को 2012-13 में एवं शेष को पूर्ववर्ती वर्षों में बताये गये थे। विभाग द्वारा 2012-13 में 1,024 मामलों में ₹ 7.02 करोड़ की वसूली की गई।

1.9.4 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन (अध्याय II से VII) में एक समीक्षा **"झारखण्ड में विद्युत शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण"** एवं **"अचल संपत्तियों के पट्टा अनुबंधों और विकास अनुबंधों पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण एवं संग्रहण"** पर एक कंडिका सहित ₹ 633.61 करोड़ वित्तीय प्रभाव के कर, शुल्क और ब्याज एवं अर्थदण्ड आदि के नहीं/कम आरोपण से संबंधित 27 कंडिकाएँ सम्मिलित हैं। विभाग/सरकार ने ₹ 513.04 करोड़ के लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार कर लिया है।

---

12 लेखापरीक्षित झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम की एक इकाई को छोड़कर।